-1-

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्र........../2016

निग – 2571 – I-16

पुनरीक्षणकर्ता :— अंशुलकांत चौधरी उम्र करीब 36 वर्ष आत्मज श्री शिखरचंद जैन निवासी— एल. आई.जी. 19, आनंद नगर, अधारताल, जबलपुर, म.प्र.

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण :—1. जमील अहमद अंसारी आत्मज स्व. गुलाम अम्बिया, उम्र करीब 62 वर्ष, निवासी— म.नं. 482, सूजी मोहल्ला, जबलपुर, म.प्र.

2. न्यायालय तहसीलदार (नजूल), कोतवाली अनुभाग, जबलपुर, म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 के तहत

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष विनम्र निवेदन करता है :—

" पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय तहसीलदार (नजूल) कोतवाली अनुभाग, जबलपुर, म.प्र. श्री अशोक ब्यास के द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 509/अ—6/2008—09 पक्षकार जमील अहमद अंसारी विरूद्ध अंशुलकांत चौधरी व अन्य में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.04.2009 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका अधोलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है। "

पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2005 को उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर में पुस्तक क ए 1, ग्रंथ क. 11674, पर क. 2505 ख पर पंजीबद्ध दस्तावेज के माध्यम से प्रकाशचंद नरबरिया आत्मज श्री प्रेमचंद नरबरिया निवासी— म.नं. 518, दीक्षितपुरा जबलपुर वालों के मुख्त्यारआम श्री राजा शराफ से मौजा लक्ष्मीपुर नं.बं. 643, प.ह.नं. 25/31, तहसील व जिला जबलपुर स्थित ख.नं. 211/1 एवं 211/3 एवं 212/1 एवं ख.नं. 215/1 के रकवा में से 3265 वर्गफुट भूभाग क्रय कर स्वामित्व व अधिपत्य प्राप्त किया था।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता ने विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2005 के आधार पर न्यायालय तहसीलदार (नजूल) कोतवाली अनुभाग जबलपुर के समक्ष राजस्व प्रकरण क्र. 215/अ—6/2005—06 प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 18.01.2006 के तहत नामांतरण कराया था।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2571–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार (नजूल) कोतवाली अनुभाग जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र 509/अ–6/2008–2009 पक्षकार जमील अहमद अंसारी विरूद्ध अंशुलकांत चौधरी में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.04.2009 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है । 2/ इस प्रकरण में दिनांक 29–9–16 को उभयपक्ष के तर्क सुने गये थे । प्रकरण में तर्क सुने जाने के उपरांत आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जबलपुर द्वारा एम.जे.सी. क्रमांक 15/2013 में पारित आदेश दिनांक 7–11–16 की छाया प्रति पेश की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा पूर्व में व्यवहार वाद क्रमांक 131ए/2007 में पारित आदेश दिनांक 17–11–07 (जिसके आधार पर तहसीलदार ने आलोच्य आदेश पारित किया गया है) को निरस्त किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में अब इस प्रकरण में गुणदोष पर विचार किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः आवेदक को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यवहार न्यायालय के जिस आदेश का सहारा ले रहे हैं उसकी प्रमाणित प्रति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें और तहसीलदार तदनुसार प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । दर्शित परिस्थिति में	

R 2571-I/16 (सवाईमाधोपुर)

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह प्रकरण इसी स्तर पर बिना गुणदोष पर विचार किये समाप्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	